सूचना
का
अधिकार

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :– एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट–I/1512 दिनांकः–07-9-2021

आदेश

उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 10(29)शिक्षा–3/2020 दिनांक 27–7–2021 के द्वारा संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वयक विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ), जयपुर के परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/2009 पार्ट दिनांक 16–7–2021 की छायाप्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया है।

इस संबंध में इस विभाग, समस्त राजकीय महाविद्यालय राजस्थान एवं सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान के समस्त राज्य लोक सूचना अधिकारियों (SPIO)को निर्देशित किया जाता है कि उक्त परिपत्र की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करें।

(संदेश नायक)
आयुक्त

क्रमांक :– एफ 20(101/127)लोसू/आकाशि/2005/पार्ट–I/1512-1520 दिनांकः–07-9-2021

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. उप शासन सचिव, उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग, राजस्थान, जयपुर को उनके पत्रांक प. 10(29)शिक्षा–3/2020 दिनांक 27–7–2021 के संदर्भ में।
2. संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर को उनके परिपत्र क्रमांक प. 20(84)प्रसू/सूअप्र/2009 पार्ट दिनांक 16–7–2021 के संदर्भ में।
3. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त संयुक्त निदेशक, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं वित्तीय सलाहकार, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
5. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं उपविधि परामर्शी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
6. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं आहरण वितरण अधिकारी, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
7. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय (विधि महाविद्यालयों सहित) राजस्थान।
8. राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं समस्त सहायक निदेशक, क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान।
9. वेबसाईट प्रभारी–आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र का विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करें।

(डा. के.एल. सिराधना)
SPIO एवं संयुक्त निदेशक, प्रशासन समन्वयक
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।

राजस्थान सरकार
उच्च शिक्षा (ग्रुप–3) विभाग

ई–मेल higheredu3@rajasthan.gov.in दूरभाष 0141–5153222,5153223,5153660(आई.पी 24870)

क्रमांकःप.10(29)शिक्षा / ग्रुप–3 / 2020 जयपुर, दिनांकः 27 JUL 2021

आयुक्त,
कॉलेज शिक्षा,
राजस्थान, जयपुर।

विषयः– सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत धारा 6(1) के परिपत्र के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निदेशानुसार लेख है कि संयुक्त शासन सचिव, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग के पत्र कमांक प. 20(80)प्रस / सूअप / 2009 पार्ट दिनांक 16.07.2021 की छायाप्रति संलग्न कर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उक्त परिपत्र के संबंध में सभी विभागों को अवगत कराने का श्रम करावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(संजय शर्मा)
उप शासन सचिव

राजस्थान सरकार
प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग
(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

सूचना का अधिकार

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

Website: ard.rajasthan.gov.in

उच्च शिक्षा (ग्रुप-3) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
पत्र-प्राप्ति क्रमांक 2769
दिनांक 22/7/2021

क्रमांक प. 20(84) प्रसू/सूअप्र/2009पार्ट जयपुर, दिनांक : 16-07-2021

कार्यालय शासन सचिव
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
आवक संख्या 3930
दिनांक 19/7/21

परिपत्र

सूचना के आवेदन के साथ आवेदक द्वारा राज्य सरकार द्वारा विहित फीस प्रस्तुत करने के उपरान्त राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में प्रतिलिपि/दस्तावेज शुल्क की मांग आवेदक से की जानी होती है, किन्तु अधिकांशतः मामलो में आवेदको द्वारा सूचना के आवेदन के साथ ही आवेदन शुल्क एवं प्रतिलिपि शुल्क के रूप में एक साथ राशि भिजवाई जाती है अथवा कई बार भिजवाई जाने वाली राशि मांग राशि से अधिक होती है, इस संबंध में आवेदक की सहमति प्राप्त किये जाने हेतु किये जाने वाले पत्राचार/अन्य कार्यवाही में सरकारी श्रम व धन का अनावश्यक दुरूपयोग होता है।

"सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अन्तर्गत कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलैक्ट्रोनिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी/हिन्दी में या उस क्षेत्र की, जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ जो विहित की जाए" तथा " अधिनियम की धारा 7(1) तथा 7(3)(क) के अनुसार राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को उसके द्वारा यथाअवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उप-धारा(1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होगी, देते हुए उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा"।

सूचना के अधिकार के उक्त प्रावधान से स्पष्ट है कि आवेदन शुल्क तथा प्रतिलिपि शुल्क की राशि आवेदक द्वारा पृथक से भिजवाई जावेगी। अतः इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि यदि आवेदक आवेदन शुल्क अथवा प्रतिलिपि शुल्क के रूप में मांग राशि से अधिक राशि आवेदन के साथ ही भिजवाता है तो यह मान लिया जावे कि अधिक भिजवाई गई राशि राजकोष में जमा कराने हेतु आवेदक की सहमति है।

उक्त परिपत्र वित्त (व्यय-2)विभाग की आई.डी. संख्या 102103126 दिनांक 13.07.2021 द्वारा प्रदत्त सहमति के कम में जारी किया जाता है।

(प्रियंका गोस्वामी)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय।
3. वरि. उप सचिव, मुख्य सचिव।
4. समस्त अति. मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव
5. समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलेक्टर्स/पुलिस अधीक्षक
6. समस्त विभागाध्यक्ष।
7. रक्षित पत्रावली।

शासन उप सचिव

DSHE-3
JSHE-4
JSTE

19/7/21

19/7/2021